


**Jharkhand State Pollution Control Board
Government of Jharkhand**



DIPP Point No. 92

Question	Remarks
5a. Environmental Registration Enablers Q: Exempt select green industries from pollution control board clearances	All green industries having investment less than 50 Lakh are exempted from obtaining PCB clearances. Photovoltaic industry is also exempted. Recently, JSPCB has also adopted CPCB's revised categorization of industries, with industries under white exempted from PCB clearances
URL: http://www.jspcb.org/Information/Notification%20letter%20no.%20G-1358%20dated%2001.05.2015.pdf http://www.jspcb.org/Notification/B-10%20dated%2009.09.2015.pdf http://www.jspcb.org/Notification/Notification%20No.-B-81.pdf	

<http://www.jspcb.org/Information/Notification%20letter%20no.%20G-1358%20dated%2001.05.2015.pdf>

 **झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद**
नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, दुर्गा, राँची
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651-2400850

पत्रांक 61358 राँची, दिनांक 1.5.15

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरी श्रेणी की वेसी इकाईयाँ जो माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या-19628-19629/09-दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 27.02.2012 से आच्छादित नहीं है, में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता झारखण्ड राज्य में नहीं है। हरी श्रेणी के इकाईयाँ की विस्तृत सूची पर्षद के वेब साईट www.jspcb.org पर उपलब्ध है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में किसी भी इकाई के विद्युत संयोजन (connection) हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते कि पर्षद के द्वारा विद्युत विच्छेद आदेश सम्बन्धित इकाई के विरुद्ध पूर्व में नहीं दिया गया है।

ह0/-
प्रभारी सदस्य सचिव

ज्ञापांक 61358 राँची, दिनांक 1.5.15


प्रतिलिपि: सभी शाखा प्रमुख/प्रशासी पदाधिकारी/सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता/वैज्ञानिक सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Green
Industries
exempted

**Jharkhand State Pollution Control Board
Government of Jharkhand**



<http://www.jspcb.org/Notification/B-10%20dated%2009.09.2015.pdf>

**JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD**
T.A. Division Building, HEC, Complex, Dhurwa, Ranchi
Ph.: (0651)-2400852, 2400851, 2400902, 2400979, Fax: 2400850

Ref. No. B-10 Dated 09/9/15

Notification

In anticipation of approval of the Board of Directors of the Jharkhand State Pollution Control Board (hereinafter called as Board), minor modification is hereby made in Notification no B-21, dated 16-08-2013 of the Board to the extent that Solar PV Power Projects will be exempted from obtaining any NOC/consent for establishment and consent to operate under the pollution control laws from Jharkhand State Pollution Control Board, irrespective of quantum of investment.

All other conditions will remain unchanged.

Sd/-
(Sanjay Kumar Suman)
Member Secretary

Memo No B-3348 Ranchi, Dated 09/9/15


Copy to: Principal Secretary, Department of Environment, Forests and Climate Change/
Principal Secretary, Department of Energy, Government of Jharkhand/All Regional Officers/
All Section Heads for information and necessary action.

Photovoltaic
industry is also
exempted

Jharkhand State Pollution Control Board
Government of Jharkhand



<http://www.jspcb.org/Notification/Notification%20No.-B-81.pdf>

**झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वच**
गौर प्रयासन भवन, एचओ ई0 सी0, दुर्ग, राँची
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651-2400850

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : B-81 :..... राँची, दिनांक : 16/8/13.....

पर्वच मंडल की 28 वीं बैठक दिनांक 06.04.2013 के कार्यवही संख्या 6 में किए गये निर्णय एवं NOC-Export की बैठक दिनांक 09.01.2013 (पर्वच भाषांक - जी 143, दिनांक 09.01.2013) में किये गये निर्णय के आशोक में पूर्व में निर्गत NOC Guidelines में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :-

1. Green Category Units को NOC प्राप्त करने के घट की सीमा पूर्व में पर्वच की अधिसूचना संख्या -22, दिनांक 22.03.2005 के द्वारा Plant & Machinery का Investment की राशि २० 10 लाख तक थी, को बढ़ा कर २० 50 लाख किया जाता है। उक्त राशि की अपेक्षा अधिक मशीनरी के आमत पर लागू है, इसमें जेनरेटर का क्षमता (50 KVA तक) सम्मिलित नहीं है। अर्थ शर्त पूर्ववत् रहेगी।
2. 50 KVA तक के वोल्टता वाले D.G. Set (with adequate acoustic enclosure) फ़िनकी क्षमता २० 50 लाख तक हो को पर्वच से सटकर होने की आवश्यकता नहीं है। जोबाईज टावर के NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ववत् वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश पत्र संख्या -03/परि प्रवृ0-05/11-1418, दिनांक 15/04/2011 से निरूपित होगी।

Green Industries with investment less than Rs 50 L exempted

SUPPORTING DOCUMENT



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्व

नागर प्रशासन भवन, एचओ ई0 सी0, दुर्गा, राँची

दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651-2400850

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : 15-21/11/13

राँची, दिनांक : 16/11/13

पर्व मंडल की 28 वीं बैठक दिनांक 08.04.2013 के कार्यवाही संख्या 8 में किये गये निर्णय एवं NOC Expert की बैठक दिनांक 09.01.2013 (पर्व आपांक - जी 143, दिनांक 09.01.2013) में किये गये निर्णय के आलोक में पूर्व में निर्गत NOC Guideline में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :-

1. Green Category Units को NOC प्राप्त करने के छूट की सीमा पूर्व में पर्व की अधिसूचना संख्या -22, दिनांक 22.03.2005 के द्वारा Plant & Machinery या Investment की राशि २० 10 लाख तक थी, को बढ़ा कर २५ 50 लाख किया जाता है। उक्त राशि की अपेक्षा सिर्फ मशीनरी के लागत पर लागू है, इसमें जनरेटर का खर्च (50 KVA तक) सम्मिलित नहीं है। अन्य शर्त पूर्ववत् रहने।
2. 50 KVA तक के क्षमता वाले D.G. Set (with adequate acoustic enclosure) फ़िनकी लागत २० 50 लाख तक हो को पर्व से सहजित होने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल टावर के NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ववत् वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश पत्र संख्या -03/पर्व0 प्रवृ0-05/11-1416, दिनांक 15/04/2011 से निरूपित होगी।
3. Orange Category Units को पूर्व में Orange Special Category Part D, Orange Special Category part E, Orange Ordinary Category part F तीन भाग में विभाक्त थे सभी को Orange Category शामिल करते हुए Guideline निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No.	Minimum distance from	Distance
1.	NH	100 Mtr
2.	SH	100 Mtr
3.	Dist Metal Road	50 Mtr
4.	Railway Line	100 Mtr
5.	River	100 Mtr
6.	Any Other River	100 Mtr
7.	Habitation	200 Mtr
8.	Forest/ Forest Land	400 Mtr

यह अधिसूचना आदेश निकलने की तिथि से प्रभावी होगी।

50/-

(संजय कुमार शिन्हा)

सचिव

क्रमांक :

दोषी, दिनांक :

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, एवं एवं पदावधि विभाग, भारत सरकार, दोषी/ सचिव, तमिल विभाग, भारत सरकार दोषी/ निदेशक-उद्योग, भारत सरकार दोषी / मुख्य कारखाना निरीक्षक, भारत सरकार दोषी/ अध्यक्ष, भारत सरकार चेंबर ऑफ कॉमर्स, दोषी को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४०/-

(संजय कुमार शिखा)
सदस्य सचिव

क्रमांक : B-4708

दोषी, दिनांक : 16/8/13

प्रतिलिपि - 1. शशी शाखा प्रधान (मु०)/शशी क्षेत्रीय पदाधिकारी/शशी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भारत सरकार राज्य प्रवर्धन निवृत्तियों के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

(संजय कुमार शिखा)
सदस्य सचिव

४१

SUPPORTING DOCUMENT



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. Division Building, HEC, Complex, Dhurwa, Ranchi
Ph.: (0651)-2400852, 2400851, 2400902, 2400979, Fax: 2400850

Ref. No. B-10

Dated. 09/9/15

Notification

In anticipation of approval of the Board of Directors of the Jharkhand State Pollution Control Board (hereinafter called as Board), minor modification is hereby made in Notification no B-21, dated 16-08-2013 of the Board to the extent that Solar PV Power Projects will be exempted from obtaining any NOC/consent for establishment and consent to operate under the pollution control laws from Jharkhand State Pollution Control Board, irrespective of quantum of investment.

All other conditions will remain unchanged.

Sd/-

(Sanjay Kumar Suman)
Member Secretary

Memo No B-3348

Ranchi, Dated. 09/9/15

Copy to: Principal Secretary, Department of Environment, Forests and Climate Change/
Principal Secretary, Department of Energy, Government of Jharkhand/All Regional Officers/
All Section Heads for information and necessary action.

Sd/-

(Sanjay Kumar Suman)
Member Secretary

Memo No B-3348

Ranchi, Dated. 09/9/15

Copy to: PS to Chief Secretary, Government of Jharkhand for information in pursuance of the decision taken in the high level meeting regarding setting up Solar Power Plants in the State held under the chairmanship of the Chief Secretary on 25-08-2015.

(Sanjay Kumar Suman)
Member Secretary

ds

SUPPORTING DOCUMENT



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651-2400850

पत्रांक 61358

राँची, दिनांक 1.5.15

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरी श्रेणी की वैसी इकाईयाँ जो माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या-19628-19629/09-दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 27.02.2012 से आच्छादित नहीं है, में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता झारखण्ड राज्य में नहीं है। हरी श्रेणी के इकाईयों की विस्तृत सूची पर्षद के वेब साईट www.jspcb.org पर उपलब्ध है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में किसी भी इकाई के विद्युत संयोजन (connection) हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते कि पर्षद के द्वारा विद्युत विच्छेद आदेश सम्बन्धित इकाई के विरुद्ध पूर्व में नही दिया गया है।

ह0/-

प्रभारी सदस्य सचिव

ज्ञापांक 61358

राँची, दिनांक 1.5.15

प्रतिलिपि: सभी शाखा प्रमुख/प्रशासी पदाधिकारी/सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी/कनिय पर्यावरण अभियन्ता/बैज्ञानिक सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Amulya Singh
15/5/15
प्रभारी सदस्य सचिव
5/5/15
01.5.